UPSI180013412017
न्यायलय Civil Judge Junior Division Mahmudabad, Sitapur
पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP03730**

मूलवाद सं० Civil Suit/185/2017
rajaram Vs. Ramsewak

08.02.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय–पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2, 3 नियत है।

वाद बिन्दु सं0 2 पर सुना, पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2–

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित है कि **"क्या वाद अल्पमूल्यांकित है?"**

प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी द्वारा वाद विषय का मूल्यांकन काफी कम किया गया है। वादीगण द्वारा कथन का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि वाद विषय का मूल्यांकन आराजी निजाई के वादीय अंश पर दिये गये लगान के तीस गुना के अनुसार मु0 141 रूपया कायम किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु योजित किया गया है। न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 7 (5) के अनुसार भूमि के कब्जे के विवाद में जहां भूमि सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा निश्चित अंश है, वहां विषय वस्तु का मूल्य ऐसे संदाय राजस्व का तीस गुना मूल्य समझा जायेगा। परन्तु **उ0 प्र0 वाद मूल्यांकन नियम, 1942** के नियम 3 के अनुसार उस स्थिति में विषय वस्तु का मूल्य ऐसे संदाय राजस्व का **पचपन गुना** मूल्य समझा जायेगा। वादीगण द्वारा वाद–विषय का मूल्यांकन आराजी की वार्षिक लगानी रू 4.70/– रूपया के 30 गुना के अनुसार रू0 141/– किया गया है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के मत में वादी द्वारा किया गया वाद–विषय का मूल्यांकन कम है। विवादित सम्पत्ति का मूल्यांकन रू0 258.50/– सुनिश्चित किया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं0 2 का निस्तारण किया जाता है। वादी पारिणामिक संशोधन हेतु आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

आदेश

पत्रावली वास्ते दाखिला अतिरिक्त कोर्टफीस/मुंसरिम आख्या एवं निस्तारण वाद बिन्दु सं0 3, 4 दि0 27.03.2024 को पेश हो। अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश अग्रिम नियत तिथि तक प्रभावी रहेगा।

सिविल जज जू0 डि0
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो–

Digitally signed by AKSHITA SINGH
Date: 2024.02.08 15:33:22 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.